न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 107/2024

प्रार्थी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री नीबाराम पुत्र श्री बाबराजी निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रवीण कुमार छीपा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 31.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 बुक संख्या 269 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जॉच जिला स्तरीय जॉच कमेटी के द्वारा करने के उपरांत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की पात्रता नहीं रखने से श्रीमान

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही के पत्र क्रमांक जिपसि/पंचायत/जॉच/1654 दिनांक 03.08.2023 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 (1) के अनुसार पंचायत गांव आबादियों (300 वर्गगज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं का आवास होते हुये एवं अपात्र होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायतीराज नियमो की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या दो को नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमो की पालना किये बिना ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 में पात्रता नही रखते हुये भी विक्रय विलेख जारी किया गया, जो निरस्त योग्य हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई नियमों की अवहेलना नहीं की है। प्रश्नगत विक्रय विलेख नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी किये जाने का कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना नहीं की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 158 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो गांव भारजा का स्थायी निवासी है एवं पिछडे वर्ग का है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से रियायती दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या दो के पास गांव में उसके एवं उसके परिवार के आवास हेतु पट्टेशुदा कोई भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो सीमान्त कृषक है एवं मजदूरी का कार्य भी करता है। अतः ग्राम पंचायत भारजा ने नियमों की पालना करते हुए प्रश्नगत भूमि का पट्टा वैध रूप से जारी किया है। ग्राम पंचायत भारजा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार वैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो किसी भी रूप से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो भूमिहीन की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी संख्या दो के पास ग्राम भारजा में कोई आवासीय भूखण्ड या मकान आवास हेतु नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को प्रश्नगत भूमि का पट्टा (विक्रय विलेख) अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किये जाने का विधि में पूर्ण हक अधिकार हैं। उक्त पट्टा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता नहीं की है। यह कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुए करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत के जवाब को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 03

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। प्रार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के निर्देशों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करने का विधि में कोई अधिकार नहीं है। यह कि जांच कमेटी ने अप्रार्थी संख्या दो से कभी भी प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो को उक्त तथाकथित जांच के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जिससे तथाकथित जांच एवं उसमें निकाले गये तथाकथित निष्कर्षों से अप्रार्थी संख्या दो किसी भी रूप से पाबन्द नहीं है। प्रश्नगत विक्रय विलेख नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी किये जाने का कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना नहीं की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 158 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो गांव भारजा का स्थायी निवासी है एवं पिछडे वर्ग का है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से रियायती दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या दो के पास गांव में उसके एवं उसके परिवार के आवास हेतु पट्टेशुदा कोई भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो सीमान्त कृषक है एवं मजदूरी का कार्य भी करता है। अतः ग्राम पंचायत भारजा ने नियमों की पालना करते हुए प्रश्नगत भूमि का पट्टा वैध रूप से जारी किया है। ग्राम पंचायत भारजा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार वैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो किसी भी रूप से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो भूमिहीन की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी संख्या दो के पास ग्राम भारजा में कोई आवासीय भूखण्ड या मकान आवास हेतु नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को प्रश्नगत भूमि का पट्टा (विक्रय विलेख) अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किये जाने का विधि में पूर्ण हक अधिकार हैं। उक्त पट्टा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता नहीं की है। यह कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुए करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट ग्राम पंचायत भारजा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार--

158. भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन-- (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत भारजा में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री नीबाराम को दिनांक 22.11.2021 को जारी किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं का पुराना आवास होते हुए भी रियायती दर पर उक्त विवादित पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया था तथा उक्त पट्टे के लगभग दो वर्ष पश्चात अन्य पट्टा दिनांक 22.11.2021 जारी किया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 जारी किया गया था, उस समय अप्रार्थी संख्या दो के पास अन्य कोई भूखण्ड नहीं था। अतः आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या दो के पास किसी भी प्रकार का कोई आवासीय मकान उपलब्ध था, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को ही पट्टा जारी किया जाता है और अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत भारजा में अन्य कोई आवास हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने हेतु अपात्र होने के सम्बन्ध में ही निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो क़िस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टा के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 26803 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner